राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 626/2011/जयपुर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–प्रथम, राजसमंद. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स कमलेश नागर एण्ड कम्पनी, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी. कुमार, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 12/07/2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 16/अपील्स–।।/आरवीएटी/जयपुर/बी/2009–10 में पारित किये गये आदेश दिनांक 20.09.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–राजसमन्द (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

3. प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कांकरोली की फर्म मैसर्स हैवी इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग मोरचणा को जो माल श्रीनाथ कारगो प्रा0 लि0 कांकरोली से भिजवाया गया था, उसके साथ प्रस्तुत डिलीवरी चालान में कुल कीमत रूपये 1,62,763/– अंकित की हुई थी परन्तु साथ में नियमित बिल एवं चालान संलग्न नहीं किये गये थे ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा माल को रोके जाने पर एवं नोटिस जारी किया जाने पर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए दिनांक 18.01.2010 का वैट इन्वॉयस संख्या 5116 प्रस्तुत कर दिया गया था ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के **मैसर्स डी.पी.मैटल्स (2001) 126 एस.टी.सी. 611** के न्यायिक निर्णय के आलोक में प्रथम प्रदत्त अवसर पर समस्त बिलों को प्रस्तुत कर देने के आधार पर आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है। प्रकरण के तथ्यों के अवलोकन पर यह पाया गया कि ट्रांसपोर्ट कम्पनी की जांच के दौरान प्रत्यर्थी व्यवहारी का

लगातार.....2

नाम एवं माल की कीमत घोषित की हुई थी एवं माल राज्य के भीतर ही विक्रय कर परिवहनित किया गया था ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **मैसर्स डी.पी. मैटल्स के निर्णय (2001) 124 एस.टी.सी. 611** के आलोक में निर्णय प्रदान कर वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

4. फलतः अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश दिनांक 20.09.2010 की पुष्टि की जाती है।

5. निर्णय सुनाया गया।

12/7/2017

(के. एल.जैन)
सदस्य